

NESTLÉ INDIA LIMITED

(CIN: L15202DL1959PLC003786)

Regd. Office: 100 / 101, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi-110 001

Email: investor@in.nestle.com; Website: www.nestle.in

Ph: 011-23418891, Fax: 011-23415130

NOTICE OF 63RD ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Member(s),

- 1. Notice is hereby given that the Sixty Third Annual General Meeting ("63rd AGM") of Nestlé India Limited ("the Company") will be convened on Tuesday, 12th April 2022 at 10:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") facility as per the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder (the "Act") read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021 and 21/2021, dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020, 13th January 2021, 8th December 2021 and 14th December 2021, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), without the physical presence of the members at a common venue. The deemed venue for the 63rd AGM shall be the Registered Office of the Company.**
- 2. Electronic copies of the Notice of the 63rd AGM and the Annual Report for the year 2021 will be sent only by email to all those members, whose email address are registered with the Company / Depository Participant(s) ("Depository"). For those members, who have not registered their email address, hard copies of the Notice of the 63rd AGM and the Annual Report for the year 2021 will be sent at their registered address in the permitted mode. The Notice of the 63rd AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.nestle.in and the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com. Members can join and participate in the 63rd AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 63rd AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 63rd AGM are provided in the Notice of the 63rd AGM. Members participating in 63rd AGM through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.**
- 3. Members holding shares in physical form** who have not registered their email addresses with the Company can obtain Notice of the 63rd AGM, Annual Report and/or login details for joining the 63rd AGM through VC/OAVM facility including e-voting, or any future communication, by sending following documents by email to investor@in.nestle.com:
 - a. a signed request letter mentioning your name, folio number, email address and complete address;
 - b. self attested scanned copy of the PAN Card; and
 - c. self attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving Licence, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the members as registered with the Company.
- 4. Members holding shares in physical form** who have not updated their mandate for receiving the dividends directly in their bank account(s) through Electronic Clearing Service or any other means ("Electronic Bank Mandate"), can register their Electronic Bank Mandate to receive dividends directly into their bank account electronically, by sending following details / document in addition to the documents mentioned in para 3 above by email to investor@in.nestle.com:
 - a. Name and Branch of Bank in which dividend is to be received and Bank Account type;
 - b. Bank Account Number allotted by your bank after implementation of Core Banking Solutions;
 - c. 11 digit IFSC Code; and
 - d. Self attested scanned copy of cancelled cheque bearing the name of the member or first holder, in case shares are held jointly.
- 5. Members holding shares in demat form** are requested to update their email address/ Electronic Bank Mandate with their Depository.
- 6. The record date for determining entitlement of members to the final dividend for the financial year ended 31st December 2021, if approved at the 63rd AGM, is 22nd April 2022.**

Pursuant to Income Tax Act, 1961 ("the IT Act"), dividend income is taxable in the hands of the members and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the members at prescribed rates in the IT Act. For the prescribed rates for various categories, conditions for Nil / preferential TDS and details / documents required thereof, members are requested to refer to the IT Act and Notice of the 63rd AGM. In general, to enable compliance with TDS requirements, members are requested to complete and / or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their Depository or in case shares are held in physical form, with the Company by sending email to investor@in.nestle.com.

In the event the Company is unable to pay the dividend to any member by electronic mode, due to non-registration of the Electronic Bank Mandate, the Company shall dispatch the dividend warrant/ Bankers' cheque/ demand draft to such member, as soon as possible.

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the Act and MCA Circulars.

Date : 10th March 2022
Place : Gurugram

Nestlé India Limited
B. Murli
General Counsel & Company Secretary



नेस्ले इंडिया लिमिटेड

CIN : L15202DL1959PLC003786

पंजीकृत कार्यालय: 100 / 101, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली - 110 001

ई-मेल: investor@in.nestle.com, वेबसाइट: www.nestle.in

फोन: 011-23418891, फैक्स: 011-23415130

63^{वाँ} वार्षिक साधारण सभा की सूचना

प्रिय सदस्यगण,

1. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 63^{वाँ} वार्षिक साधारण सभा ("63^{वाँ} एजीएम") मंगलवार, 12 अप्रैल 2022 को सुबह 10:00 बजे वीडियो कन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विड्युअल माध्यमों ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों ("अधिनियम") के अनुसार और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र नं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021 और 21/2021 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 8 दिसम्बर 2021 और 14 दिसम्बर 2021 ("एमसीए परिपत्रों"), जो एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आमंत्रित की गई है। 63^{वाँ} एजीएम का स्थान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को माना जाएगा।

2. 63^{वाँ} एजीएम की सूचना और वर्ष 2021 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को केवल ईमेल के द्वारा भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी के पास या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ("डिपॉजिटरी") के पास पंजीकृत है। उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, 63^{वाँ} एजीएम की सूचना और वर्ष 2021 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां उनके पंजीकृत पते पर स्वीकृत मोड में भेजी जाएगी। 63^{वाँ} एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.nestle.in तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 63^{वाँ} एजीएम में शामिल एवं भाग ले सकते हैं। 63^{वाँ} एजीएम में शामिल होने के निर्देश और 63^{वाँ} एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग या ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया के निर्देश 63^{वाँ} एजीएम की सूचना में दी गई है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के निर्धारण के उद्देश्य से की जायेगी।

3. **भौतिक पद्धति में शेर धारित करने वाले सदस्य** जिन्होंने कंपनी के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे ईमेल द्वारा investor@in.nestle.com पर निम्न दस्तावेजों की प्रति भेज कर 63^{वाँ} एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट एवं/अथवा 63^{वाँ} एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शामिल होने के लिये एवं ई-वोटिंग करने के लिए लॉग-इन विवरणों एवं भावी संचार को प्राप्त कर सकते हैं:
(क) अपने नाम, फोनिओ नम्बर, ईमेल पता तथा सम्पूर्ण पते का उल्लेख करते हुए एक हस्ताक्षर अनुरोध पत्र;
(ख) बैंक कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति; तथा
(ग) किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट) की कंपनी में यथा पंजीकृत पते के समर्थन में उसकी स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति।

4. **भौतिक पद्धति में शेर धारित करने वाले सदस्य** जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा अथवा किसी अन्य माध्यमों ("इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैडेड") द्वारा अपने बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से लामांश प्राप्त करने के लिए अपने मैडेड अपडेट नहीं कराये हैं वे investor@in.nestle.com पर ईमेल द्वारा उपर पैरा 3 में वर्णित दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्न विवरणों/दस्तावेजों को भेज कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से लामांश प्राप्त कर सकते हैं:

- (क) बैंक का नाम एवं शाखा जिसमें लामांश प्राप्त की जायेगी तथा बैंक खाता का प्रकार;
- (ख) कोर बैंकिंग सॉल्यूशन्स लागू करने के बाद आपके बैंक द्वारा आवंटित बैंक खाता संख्या;
- (ग) 11 अंक का आईएफएससी कोड; तथा
- (घ) सदस्य अथवा यदि शेर संयुक्त रूप से धारित हो तो प्रथम सदस्य के नाम में निरस्त बैंक की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति।

5. **डीमैट प्रारूप में शेर धारित करने वाले सदस्यों** से अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी के पास अपना ईमेल पता/इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैडेड रजिस्टर कराएँ।

6. 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लामांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि, यदि 63^{वाँ} एजीएम में अनुमोदित हो तो, 22 अप्रैल 2022 है।

आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") के अनुसार, लामांश आय सदस्यों के लिए कर योग्य है और कंपनी को आईटी अधिनियम में निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लामांश से झोत पर कर ("टीडीएस") की कटौती करनी होगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों, शून्य/तरजीही टीडीएस की शर्तों और उसके लिए आवश्यक विवरण/दस्तावेज के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे आईटी अधिनियम और 63^{वाँ} एजीएम की सूचना देखें। सामान्य तौर पर, टीडीएस आवश्यकताओं के अनुपालन को सक्षम करने के लिए, सदस्यों से investor@in.nestle.com पर ईमेल भेजकर अपनी आवासीय स्थिति, बैंक, आईटी अधिनियम के अनुसार उनकी डिपॉजिटरी के साथ या यदि शेर भौतिक रूप में हैं तो कंपनी के साथ अपनी श्रेणी को पूरा करने/अपडेट करने का अनुरोध किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैडेड का पंजीकरण नहीं कराने के कारण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा किसी सदस्य को लामांश का भुगतान करने में यदि कंपनी असमर्थ है तो कंपनी यथा शीघ्र ऐसे सदस्यों को लामांश वारंट/बैंकर्स बैंक/डिमांड ड्राफ्ट भेजेगी।

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की सूचना तथा हितों के लिए की जा रही है और अधिनियम तथा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में है।

नेस्ले इंडिया लिमिटेड

बी. मुरली

जनरल काउंसल एवं कंपनी सचिव

तिथि: 10 मार्च 2022

स्थान: गुरुग्राम

www.readwhere.com

